

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या :/सम्ब./2018

दिनांक :

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:-राज्य विश्वविद्यालयों के नैक संस्था से मूल्यांकित एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु पात्र विश्वविद्यालयों को आवेदन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पत्र संख्या: 446/रा०उ०शि०प०/37/18 दिनांक 15.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में नैक संस्था से मूल्यांकित कराया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

अतः पत्र दिनांक 19.12.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : Af-227-231 दिनांक : 04/01/19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
3. निदेशक उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, आशियाना लखनऊ को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु।
5. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।


(रणजीत यादव)
उपकुलसचिव(सम्ब.)
कृते कुलसचिव

संख्या- 446/गोउ0शि0प0/37/18
दिनांक: 15 दिसम्बर, 2018

प्रेषक:

डॉ० अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन एवं
सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

400

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

विषय: राज्य विश्वविद्यालयों के NAAC संस्था से मूल्यांकित एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु पात्र विश्वविद्यालयों को आवेदन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के NAAC संस्था से मूल्यांकित कराया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। State wise Analysis of Accreditation Report of Uttar Pradesh के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 12, 13 एवं 14 नवम्बर, 2018 को उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन के अधिकारियों एवं NAAC संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के NAAC मूल्यांकन की न्यूनतर स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को NAAC संस्था से मूल्यांकित कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर रणनीति तथा कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

- (1) राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को NAAC मूल्यांकन हेतु प्राथमिकता श्रेणी में रखा जाय।
- (2) जो राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय NAAC संस्था से मूल्यांकित हैं और मूल्यांकन अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप पुनर्मूल्यांकन की पात्रता में आ चुके हैं, उनके द्वारा NAAC Accreditation Framework- 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु Online आवेदन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक पूर्ण कर ली जाय एवं जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर चुके हैं उनका विवरण दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 तक उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई-मेल आईडी upshec@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (3) मूल्यांकन की पात्रता में आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का NAAC संस्था से मूल्यांकन कराये जाने हेतु Online आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने एवं तत्सम्बन्धी अन्य जानकारी हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाय जिसमें कुलसचिव एवं आई०क्यू०ए०सी० को-ऑर्डिनेटर तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय करके कार्यवाही पूर्ण की जाय। कार्यशाला के लिए पर्याप्त सख्या में कम्प्यूटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। इस हेतु प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय में माह जनवरी, 2019 में आयोजित होने वाली कार्यशाला की आयोजन तिथि आदि की सूचना अद्योहस्ताक्षरी एवं उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को दिनांक 30.12.2018 तक उपलब्ध कराये।

क्रमशः.....

musall

- (4) विश्वविद्यालय के कुलसचिव, से अपेक्षा की जाती है कि वह आई0क्यू0ए0सी0 को-आर्डिनेटर तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से समन्वय करके NAAC मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रथम चरण के लिये IIQA-Online पूरित कराया जाना सुनिश्चित कराये। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराने में NAAC संस्था के विशेषज्ञों की आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाय।
- (5) जो विश्वविद्यालय NAAC संस्था से मूल्यांकित हो चुके हैं, वह अपने मूल्यांकन की अवधि पूर्ण होने के छः माह पूर्व ही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दे जिससे मूल्यांकन अवधि समाप्त होने के समय NAAC संस्था से मूल्यांकन हो जाय।

भवदीय

(डॉ० अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव

पृ०सं०: 446/रा०उ०शि०प०/37/18 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।

2- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।

3- आई०क्यू०ए०सी० को-आर्डिनेटर, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

(डॉ० अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव